

Information

1. E-Ration Card has the same validity as that of a printed Digital Ration Card and it can be used to draw food-grains and kerosene oil under Public Distribution System(PDS) from Fair Price Shops.
2. Beneficiary can not be denied food-grains under PDS for only having e-Ration Card.
3. All e-Ration Cards with (I) before the card number (e.g. (I) RKSYS-I 0000000001) indicate inactive Ration Card. All e-Ration Cards need to be verified through fingerprint-based authentication for activation; fingerprint-based authentication can be done through any ration shop or Food Inspector office, or Bangla Sahayata Kendra or OTP based authentication done with OTP in registered mobile number in Aadhaar.

তথ্যাবলী

1. ই-রেশন কার্ড এবং প্রিন্টেড ডিজিটাল রেশন কার্ডের বৈধতা সমান। ই-রেশন কার্ড মারফত ন্যায্যমূল্যের রেশন দোকান থেকে গণ বণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে বরাদ্দ খাদ্যসামগ্রী এবং কেরোসিন তেল পাওয়া যাবে।
2. শুধু ই-রেশন কার্ডের কপি দেখানোর জন্য উপভোক্তাকে বরাদ্দ রেশন সামগ্রী থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।
3. যে কোন ই-রেশন কার্ডে কার্ড নাম্বারের আগে (I) (যেমন (I) RKSYS-I 0000000001), থাকার অর্থ এই যে সেই কার্ডটি নিষ্ক্রিয়। কার্ডটিকে পুনরায় সক্রিয় করার জন্য আঙ্গুলের ছাপ দিয়ে ই-কেওয়াইসি করতে হবে। যে কোন রেশন দোকানে অথবা খাদ্য পরিদর্শকের অফিসে অথবা বাংলা সহায়তা কেন্দ্রে আঙ্গুলের ছাপ দিয়ে ই-কেওয়াইসি করা যাবে। এছাড়াও আধারের সঙ্গে লিঙ্কড থাকা মোবাইল নাম্বারে ওটিপি-র মাধ্যমেও ই-কেওয়াইসি করা যাবে।

जानकारी

1. ई-राशन कार्ड की वैधता मुद्रित डिजिटल राशन कार्ड की तरह ही होती है और इसका उपयोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्न और मिट्टी का तेल निकालने के लिए किया जा सकता है।
2. केवल ई-राशन कार्ड होने पर पीडीएस के तहत लाभार्थी को खाद्यान्न से वंचित नहीं किया जा सकता है।
3. सभी ई-राशन कार्ड (I) कार्ड नंबर से पहले (जैसे (I) RKSYS-I 0000000001) निष्क्रिय राशन कार्ड को दर्शाते हैं। सक्रियण के लिए सभी ई-राशन कार्डों को फिंगरप्रिंट-आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से सत्यापित करने की आवश्यकता है; फिंगरप्रिंट-आधारित प्रमाणीकरण किसी भी राशन की दुकान या खाद्य निरीक्षक कार्यालय, या बांग्ला सहायता केंद्र या आधार में पंजीकृत मोबाइल नंबर में ओटीपी के साथ किए गए ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से किया जा सकता है।